न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 103/2018

1 परसाराम पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी कुंआ दादूवाला वार्ड नम्बर 09 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/1 महावीर पुत्र परसाराम।
1/2 देवाराम पुत्र परसाराम।
1/3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र परसाराम।
1/4 गिरधारी पुत्र परसाराम।
1/5 सीताराम पुत्र परसाराम।
1/6 शिवपाल पुत्र परसाराम।
1/7 महेश पुत्र परसाराम।
1/8 मन्जू पुत्री परसाराम समस्त जाति माली निवासीगण कुंआ दादूवाला वार्ड नम्बर 09 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 धन्नाराम पुत्र सुरजाराम।
1/1 सन्तरा देवी पुत्री धन्नाराम।
1/2 नारायणलाल पुत्र धन्नाराम।
1/3 मदनलाल पुत्र धन्नाराम।
1/4 छोटूराम पुत्र धन्नाराम।
1/5 तारा देवी पुत्री धन्नाराम।
1/6 गोर्वधन पुत्र धन्नाराम।
1/7 सुवालाल पुत्र धन्नाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1/8 सावित्री पुत्री धन्नाराम।
1/9 फूली देवी पत्नी धन्नाराम समस्त जाति माली निवासीगण कुंआ दादूवाला वार्ड नम्बर 09 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 भूमिधारक जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन
अधिकारी शिवपाल आ.ए.एस. बउनवानी प्रकरण
धन्नाराम बनाम परसाराम वगैरह दावा बाबत विभाजन
एवं स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 269/2013

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुकर्रम अंसारी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 02.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 269/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 271 भूमि ख.न. 2485 रकबा 0.31 है., ख.न. 2486 रकबा 0.25 है. ख.न. 2487 रकबा 0.27 है., ख.न. 2488 रकबा 0.29 है., ख.न. 2489 रकबा 0.33 है., व ख.न. 2493

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

रकबा 0.23 है. कुल किता 6 कुल रकबा 1.68 है. ग्राम उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू में अवस्थित है में वादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट/प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है। पक्षकारान अपने हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जे काश्त है। उक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड सामलाती है, अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी पुख्ता रिहायसी उक्त भूमि में बना रखी है। प्रतिवादी सं. 1 वादी के उपयोग व उपभोग करने तथा उसके हिस्से की भूमि में आने–जाने के रास्ता में अवरोध पैदा करता है वगैरह अदालत हाजा के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत हुआ। अदालत हाजा ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी करने का आदेश हुआ। प्रतिवादी की समुचित तामिल करवाये बिना ही न्यायालय हाजा ने दिनांक 15.07.2016 को वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार रास्ता का प्रावधान रखते हुये प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के लिए आदेश पारित किया। प्रतिवादी/अपीलान्ट उक्त एक पक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर दिनांक 25.07.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत हाजा ने प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई कर स्वीकार कर अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी की ओर से दिनांक 09.08.2016 को जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी ने अपनी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रथम बन्दोबस्त से पूर्व उदयपुरवाटी में दादूहाला कुआ पर बिंजा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो पुराना खसरा नम्बर 2155, 2156, 2157, 2160, 2165, 2158, 2159 तथा 2152 में 15 बीघा भूमि की काश्त करता था। बींजाराम के कोई औलाद नहीं थी इस कारण उसने वृद्धावस्था में अपने दोहितो वादी एवं प्रतिवादी को गोद लिया। दोनों दोहितों की उम्र कम थी और भूमि अधिक थी तो बींजा ने सोचा कि उसकी मृत्यु के बाद उसके नाबालिग दोहितों को कोई भगा नहीं दे इसलिए उसने अपनी सम्पूर्ण भूमि 15 बीघा पक्की में से आधी अपने दोहितों को दी व आधी भूमि सुरजाराम को दे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दी। बींजाराम अपने जीवनकाल में भूमि खसरा नम्बर पुराना 2152 जिसके वर्तमान ख.न. 2469 है में अपनी गुवाड़ी बनाकर आवास–निवास मय परिवार आबाद निर्विवादित रूप से काश्त करता रहा। जिसमें वर्तमान में वादी धन्नाराम एवं धन्नाराम के पुत्र आवास–निवास कर रहे है। उक्त गुवाड़ी का रकबा 0.11 है. बनता है, जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पत्रावली का दिनांक 15.07.2016 को मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार रास्ता का प्रावधान रखते हुये प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। प्रारम्भिक डिक्री पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दिनांक 02.08.2018 को निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव विभाजन नियमों के अनुसार तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये है। इसकी पुष्टि विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मैनूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना, समस्त प्रतिवादीगण की तामील करवाये बिना, जवाबदावा प्राप्त किये बिना, तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व उभयपक्ष को उपस्थिति हेतु सूचित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना नहीं कि गई है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021(2) पेज 1144, 1176, 1318 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की तामील, जवाब, तनकी, साक्ष्य का बिन्दु इस अपील के स्तर पर विचारणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में नियम 18 से 21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

की पालना कर विधिक रूप से विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांन्ट का तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मैनूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना, समस्त प्रतिवादीगण की तामील करवाये बिना, जवाबदावा प्राप्त किये बिना, तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व उभयपक्ष को उपस्थिति हेतु सूचित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना नहीं कि गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की तामील, जवाब, तनकी, साक्ष्य का बिन्दु इस अपील के स्तर पर विचारणीय नहीं है।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव विभाजन नियमों के अनुसार तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये है। इसकी पुष्टि विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के प्रति हस्ताक्षर से होती है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व उभयपक्ष को उपस्थिति हेतु सूचित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना नहीं कि गई है एवं नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अंतिम डिक्री विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तत्पश्चात उभयपक्ष की आपत्ति लेकर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर